

सर्व शिक्षा अधियान, सारण।

निजी विद्यालयों के प्रस्तुति से संबंधित
प्रपत्र - II

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अधियान)

पत्रांक : SSA/Aff./2012-2013/0004/ ८७६ दिनांक १५ / ०७ / २०१२

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवरस्थापक / प्रबंधक,

शक्ति शान्ति एकडेमी,


अभिका रथान आमी, दिघवारा, सारण

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोगनाथ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमानुली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्वर्ग प्रियालय की प्रस्तुति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 12/11/2011 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय शक्ति शान्ति एकडेमी, अभिका रथान आमी, दिघवारा, सारण कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 16 जुलाई 2012 से 15 जुलाई 2015 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तुति प्रदान की जाती है।

- प्रस्तुति किरणी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होती।
- विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमानुली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता को 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर एवं विवित समुदाय के बच्चों को करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा। परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- कठिका 3 में उक्त बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपाधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का रांघारण करेगा।
- सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा विस्ती प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।


Principal
Shakti Shanti Academy
Ambika Sthan, Ami (Saran)
Affiliated of C.B.S.E. Delhi
School Afft. No.-330230


Secretary
Shakti Shanti Academy
Ambika, Sthan, Ami (Saran)
Affl. to C.B.S.E. No.-330230

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाणपत्र नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेगे—
- किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निश्कासित किया जाएगा।
 - किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का गोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रगाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
 - अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा। परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यतर वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 - शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय सभ्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्दृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत्:

विद्यालय—परिसर का क्षेत्रफल

2.15 एकड़

कुल निर्मित क्षेत्र

17000

(वर्ग कक्ष/प्रधानाध्यापक कक्ष)/स्टोर/रसोई पर)

खेल के मैदान का क्षेत्र

है

वर्ग कक्षों की कुल संख्या

31

प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भौतिक कक्ष

है


बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—अलग मानवालय

है

पेगजल की सुविधा

है


Principal
Shakti Shanti Academy
Ambika Sthan, Ami (Saran)
Affiliated to C.B.S.E. Delhi
School Afft. No.-330230


Secretary
Shakti Shanti Academy
Ambika, Sthan, Ami (Saran)
Affl. to C.B.S.E. No.-330230

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई धर

नहीं

बाधारहित पहुँच

है


शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कुद उपकरण/पुस्तकालय

है

11. कोई भी अप्रवीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत महित किसी पञ्चिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति रामूँह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेशण एवं उसका प्रगाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान) को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड रख्या 0004 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्रावार करने में इस कोड को कृपया आंकित एवं उद्दित किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा समय-समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान, सारण।


Principal
Shakti Shanti Academy
Ambika Sthan, Ami (Saran)
Affiliated to C.B.S.E. Delhi
School Afft. No.-330230


Secretary
Shakti Shanti Academy
Ambika, Sthan, Ami (Saran)
Afft. to C.B.S.E. No. 330230